

कार्यालय-ज्ञाप

भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-34(1)/xxxix/2010-20(सा0)/2009, दिनांक 11 फरवरी, 2010 के क्रम में उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी नियमावली, 2009 एवं उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी (संशोधन) नियमावली, 2013 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति का श्री राज्यपाल पुनर्गठित किये जाने की निम्नानुसार एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(क) साधारण सभा-

- 1- अध्यक्ष  
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, (राज्य के मुख्यमंत्री संस्थान के पदेन अध्यक्ष होंगे)
- 2- उपाध्यक्ष  
भाषा विभाग के मंत्री का प्रभार यदि मुख्यमंत्री के ही नियंत्रणाधीन हो, तो उपाध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जायेगा, किन्तु यह नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है तथा मुख्यमंत्री से इतर भाषा विभाग के मंत्री होने की दशा में भाषा विभाग के मंत्री पदेन उपाध्यक्ष होंगे।
- 3- सदस्य  
प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- सदस्य  
प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- सदस्य  
प्रमुख सचिव/सचिव, भाषा, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- सदस्य  
प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- सदस्य  
प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- सदस्य  
निदेशक, संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 9- सदस्य  
निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, देहरादून।
- 10- सदस्य  
सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार।
- 11- सदस्य  
निदेशक, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान।
- 12- सदस्य  
कुलपति, कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल।
- 13- सदस्य  
कुलपति, तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून।
- 14- सदस्य  
वरिष्ठ लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी।
- 15- सदस्य  
श्री बृजेन्द्र त्रिपाठी, उप सचिव, साहित्य हिन्दी अकादमी, नई दिल्ली।
- 16- सदस्य  
डॉ० गंगा प्रसाद विमल, पूर्व प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
- 17- सदस्य  
श्री मंगलेश डबराल, वरिष्ठ साहित्यकार/पत्रकार, नोएडा, उत्तर प्रदेश।
- 18- सदस्य  
श्री लीलाधर जगूडी, कवि एवं साहित्यकार देहरादून।
- 19- सदस्य  
डॉ० देव सिंह पोखरिया, उपाचार्य हिन्दी कुमाऊं विश्वविद्यालय, अल्मोडा।

20- सदस्य

21- सदस्य सचिव

(ख) प्रबन्धकारिणी समिति-

अध्यक्ष  
कार्यकारी अध्यक्ष

3- सदस्य

4- सदस्य

5- सदस्य

6- सदस्य

7- सदस्य

8- सदस्य

9- सदस्य

10- सदस्य  
चम्पावत।

11- सदस्य

12- सदस्य सचिव

-2-

डॉ० कुसुम डोभाल मिश्र, विभागाध्यक्ष, हिन्दी  
गढवाल विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी  
गढवाल  
सचिव, उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी।

मुख्यमंत्री/भाषा मंत्री, उत्तराखण्ड  
प्रमुख सचिव/सचिव, भाषा विभाग  
उत्तराखण्ड शासन।

प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग,  
उत्तराखण्ड शासन।

प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा,  
उत्तराखण्ड शासन।

प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग,  
उत्तराखण्ड शासन।

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान।

उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी।

वरिष्ठ लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी।  
श्री मथुरा दत्त जोशी, त्रिलोकनगर, मल्ली बमौरी,  
हल्द्वानी।

श्री युधिष्ठिर जोशी, जीआईसी रोड कनलगांव,

प्रो०(श्रीमती) नीरजा जोशी, सुमंगलम, 75

श्यामविहार फेज-2, तल्ली बमौरी, हल्द्वानी।  
सचिव, उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी।

( विनोद शर्मा )  
अपर सचिव

संख्या 637 (1) / xxxix/13-32(सा०) / 2012 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।

2- निजी सचिव, मा० भाषा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।

3- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

4- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

5- समस्त सदस्य, साधारण सभा, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान।

6- समस्त सदस्य प्रबन्धकारिणी समिति, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान।

7- विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

23.8.2013

( विनोद शर्मा )  
अपर सचिव